भारत सरकार
गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2515

दिनांक 4-12-2007/13 अग्रहायण, 1929 (शक) को उत्तर के लिए

राजभाषा हिन्दी का क्रियान्वयन

2515. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजभाषा हिन्दी का क्रियान्वयन उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राजभाषा हिन्दी का अनुपालन नहीं करने के लिए चूककर्ता अधिकारियों पर दण्ड/उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कोई नीति तैयार की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और राजभाषा के रुप में हिन्दी के उचित क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव गावीत)

(क) : जी, नहीं । विभिन्न मंत्रालयों आदि से प्राप्त रिपोर्टों/रिटर्न के अनुसार राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में राजभाषा विभाग सहित केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय आदि प्रयासरत हैं ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) : संघ की राजभाषा हिंदी से संबंधित नीति का कार्यान्वयन केन्द्र सरकार के कार्यालयों में प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना से किया जाना है । तद्नुसार इस विभाग तथा केन्द्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों आदि द्वारा राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं जिनमें प्रमुख कार्यक्रम/योजनाएं निम्नलिखित हैं :-

(i) सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके संबंधित मंत्री की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जाना जोकि संबंधित मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों आदि में राजभाषा अधिनियम और नियमों तथा आदेशों के अनुपालन पर निगाह रखेगी ।

(ii) हिंदी समितियों की बैठकों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि का आयोजन करना ।

(iii) राजभाषा विभाग के अधीन देश भर में 8 प्रमुख नगरों में कार्यरत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि में हिंदी में हो रहे कार्य की मानिटरिंग किया जाना ।

(iv) केन्द्र सरकार के कार्मिकों को हिंदी भाषा/आशुलिपि/टंकण तथा अनुवाद का प्रशिक्षण दिलाना ।

(v) कम्प्यूटर के माध्यम से हिंदी में कार्य करना, प्रशिक्षण के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करना और वर्ल्ड वाइड वेब पर नि:शुल्क उपलब्ध कराना ।

(vi) सरकारी कार्यालयों आदि का राजभाषाई निरीक्षण करना व विभिन्न प्रोत्साहन व पुरस्कार योजनाएं चलाना ।

(vii) प्रकाशनों तथा प्रचार सामग्री का नि:शुल्क वितरण करना ।

****